

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) के तहत 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन), 2024 के अंतर्गत 03 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाग, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाग (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाग, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विपिन यादव, 29, लुटन यादव, पिछड़ा वर्ग	लुटन यादव (पिता)	721 27.05.2026 एवं 170 09.02.2026	गाग बथनाहा वार्ड नं० 06 पो०। पं० गोलगा, थाना। प्रखण्ड पतरघट, जिला सहरसा 6201023212	00941025 8248	IPPB IPOS0000 001	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि गजदूर
2	रब० गनोज सुतिहार, 49, विशो सुतिहार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनिता देवी (पत्नी)	722 27.05.2026 एवं 195 12.02.2026	ग्राग तिसरी चकला वार्ड नं० 12, पो० छनछोहा, पं० तीरी, थाना बैजनाथपुर, प्र० सौरबाजार, जिला सहरसा 7463045600	41805797 460	SBI SBIN0012 645	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, (ट्रक रो धक्का लगने के कारण) बढई एवं फर्निचर का कार्य
3	रब० रोगेश्वर राग, 64 वर्ष, 09 गाह, रब० पुलकित राय, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	विगला देवी (पत्नी)	721 27.05.2026 एवं 196 12.02.2026	ग्राग रहुआ तुलरियाही वार्ड नं० 06 पोस्ट रहुआ, पं० गुरली बरांतपुर, थाना बिहरा, प्र० कहरा, जिला सहरसा 9006239429	44474953 047	SBI SBIN0008 361	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि गजदूर
4	विष्णुदेव राहनी, 45, गहादेव राहनी, अति पिछड़ा वर्ग	गांगो देवी (पत्नी)	720 27.05.2026 एवं 200 02.02.2026	ग्राग जगाल नगर वार्ड नं० 12, पो०। पं० जगाल थाना। प्र० बनगा ईटहरी, जिला सहरसा 7544917939	10073110 30234703	BGB PUNB0M BGB06	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मछवारा व्यवसाय
5	रब० रघुनंदन राय, 47, पंची यादव, अति पिछड़ा वर्ग	गजू देवी (पत्नी)	721 27.05.2026 एवं 254 19.02.2026	ग्राग सितुआहा वार्ड नं०-6, पो०-सलखुआ, पो०-सितुआहा, थाना-प्र०-सितुआहा, जिला-सहरसा 8409453871	00941004 8630	IPPB IPOS0000 001	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल राशि :-रू० 3,80,000/-

(तीन लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-22/2025-1178

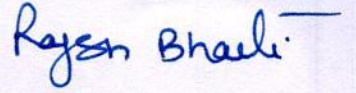
पटना, दिनांक :- ०१/०९/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ पेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, सहरसा /उप श्रमायुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


31/08/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक